

समाहर्ता-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

सी०एन०टी० वाद संख्या-24/2019-20

भगत महतो एवं अन्य

-बनाम्-

मेसर्स बी०सी०सी०एल०

-आदेश:-

22.07.2022

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख एवं उसमें संलग्न कागजातों का अवलोकन किया गया। यह वाद 1. भगत महातो 2. पुरन महातो 3. पंचु महातो सभी के पिता स्व० चमटु महातो 4. श्रीमति मुखु देवी पति स्व० मोती महातो 5. संतोष महातो पिता स्व० मोती महातो 6. श्रीमति बसानी कामिन पति कन्हारि महातो, सा०-करमाटौड़ पो०-करमाटौड़, थाना-दुग्दा, अंचल-चन्द्रपुरा, जिला-बोकारो द्वारा अपनी निज भूमि जिसका ब्योरा निम्नांकित है, को खनन कार्य के उद्देश्य से मेसर्स बी०सी०सी०एल०, बरौरा सं०-1 को छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम-1908 की धारा-49 संशोधित Bihar Act 02 of 1996 के तहत हस्तांतरित करने की अनुमति के लिए आवेदन समर्पित किया गया है।

मौजा	मौजा सं०	खाता संख्या	प्लॉट नं०	कुल रकवा	विक्रय हेतु प्रस्तावित रकवा
करमाटौड़	112	05	231	02 डी०	1.3115 एकड़
			234	04 डी०	
			346	03 डी०	
			424	02 डी०	
			459	08 डी०	
			535	02 डी०	
			536	07 डी०	
			537	07 डी०	
			540	05 डी०	
			544	03 डी०	
			546	02 डी०	
			552	02 डी०	
			581	06 डी०	
			583	02 डी०	
			808	01 डी०	
			810	0.0066 डी०	
			814	0.066 डी०	
			883	0.2 डी०	
			885	0.2 डी०	
			1349	0.1 डी०	
			1350	12 डी०	

(Signature)

			1352	06 डी0	
			1353	0133 डी0	
			1354	05 डी0	
			1356	01 डी0	
			1371	03 डी0	
			1378	03 डी0	
			1407	05 डी0	
करमाटौंड	112	05	1458	19 डी0	
			1221	06 डी0	
			1223	06 डी0	
			1225	0.0150 डी0	

इस संदर्भ में द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया एवं प्रश्नगत भूमि के संदर्भ में अंचल अधिकारी, चन्द्रपुरा से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन पत्रांक-602, दिनांक-29.07.2019 का अवलोकन किया। अंचल अधिकारी के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत भूमि रैयती खाते की है। खतियान में जगरनाथ महतो, सागर, धुन्धा, बैजनाथ पिता सुकू महतो के नाम दर्ज है। प्रस्तावित भूमि वर्तमान में बी0सी0सी0एल0 के उत्खनन क्षेत्र के अंतर्गत है।

आवेदक वाद दायर करने की तिथि से लेकर आज तक सुनवाई के दौरान लगातार अनुपस्थित है।

द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा कहा गया कि प्रश्नगत भूमि रैयती खाते की भूमि है। उक्त भूमि पर बी0सी0सी0एल0 के द्वारा उत्खनन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। अतः वह यथाशीघ्र प्रश्नगत भूमि का हस्तांतरण चाहते हैं।

विद्वान अधिवक्ता के दलील, अंचल अधिकारी, चन्द्रपुरा से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं अभिलेख में संघारित अन्य कागजातों के आधार पर यह स्पष्ट है कि दोनों पक्षों के द्वारा संयुक्त रूप से अद्योहस्ताक्षरी के न्यायालय में आवेदन देकर प्रश्नगत भूमि को छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम-1908 की धारा-49 के अन्तर्गत उत्खनन के कार्य हेतु बी0सी0सी0एल0 के पक्ष में हस्तांतरित करने का अनुरोध किया गया है। सुनवाई के दौरान यह भी स्पष्ट हुआ कि जिस भूमि के हस्तांतरण के लिए अनुरोध किया जा रहा है उस भूमि पर पूर्व से ही बी0सी0सी0एल0 के द्वारा, अद्योहस्ताक्षरी के बिना अनुमति के उत्खनन का कार्य कर लिया गया है। अंचल अधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में भी यह उल्लेख किया गया है कि प्रश्नगत भूमि बी0सी0सी0एल0 के उत्खनन क्षेत्र के अन्तर्गत है।

awp

उल्लेखनीय है कि अद्योहस्ताक्षरी के बिना अनुमति के C.N.T की भूमि पर उत्खनन का कार्य किया जाना एवं दोनों पक्षों के द्वारा भूमि के हस्तांतरण हेतु संयुक्त रूप से आवेदन प्रस्तुत करना छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम-1908 की धारा-49 में निहित प्रावधानों के विपरीत है। अधिनियम में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि "U/s 49(3) C.N.T Act. every such transfer must be made by registered deed, and before the deed is registered and the land transferred, the written consent of Deputy Commissioner must be obtained to the terms of the deed and to the transfer".

उपर्युक्त तथ्यों से यह स्पष्ट हो गया है कि दोनों पक्षों के द्वारा इस वाद में सी0एन0टी0 एक्ट की धारा-49 का उल्लंघन किया गया है। सी0एन0टी0 एक्ट की धारा-49 (3) रैयतों को यह अधिकार नहीं देती कि वह बिना उपायुक्त के लिखित सहमति के अपनी भूमि को आपसी सहमति से बी0सी0सी0एल0 को उत्खनन कार्य के उद्देश्य से दखल-कब्जे में दे। इस प्रकार उनके द्वारा सी0एन0टी0 एक्ट 1908 की धारा 49 के अन्तर्गत भूमि हस्तांतरण की अनुमति हेतु दाखिल आवेदन पत्र निष्फल (infructuous) हो गया है। फलस्वरूप प्रश्नगत भूमि का हस्तांतरण की अनुमति प्रदान करने का न तो कोई औचित्य है और न ही घटनोत्तर स्वीकृति (post facto sanction) का कोई प्रावधान। इस संबंध में सरकार के संयुक्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के ज्ञापांक 6/ सी0एन0टी0/ गंतव्य 205/ 2022 2363/रा0, दिनांक-15.07.2022 के द्वारा उपायुक्त, हजारीबाग को प्रेषित पत्र, जिसकी प्रति सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त, झारखण्ड को भी भेजी गई है, में इसी तरह के मामले में महाधिवक्ता, झारखण्ड के मंतव्य से अवगत कराया गया है, जो निम्नवत है-

"Section 49 C.N.T. Act, 1908 clearly speaks of prior written consent Therefore words used in Section 49 is "before" such transfer.

Thus the post facto sanction is not legal and valid".

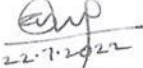
I render my opinion accordingly that in all such cases written consent and approval of the Deputy Commissioner is required under Section 49(3) and 49(4) of the C.N.T. Act.

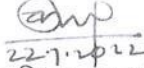
वर्णित परिस्थिति में उभय पक्षों के द्वारा भूमि हस्तांतरण की अनुमति प्रदान करने हेतु दाखिल संयुक्त आवेदन पत्र को खारिज किया



जाता है एवं वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। साथ ही जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो को निदेश दिया जाता है कि प्रश्नगत भूमि का स्थल निरीक्षण करें और यदि अवैध खनन से संबंधित कोई मामला संज्ञान में आता है तो विभागीय अधिसूचना, परिपत्र एवं माईनिंग एक्ट के तहत विधि सम्मत कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

लेखापित एवं संशोधित।


समाहर्ता-सह-जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।


समाहर्ता-सह-जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।